मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
''मंत्रालय''
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्र. एफ. ए. 6-33/97/एक (1) भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 1997

प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरणों में आयोग की राय प्राप्त किये बगैर आदेश पारित करना.

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्रवाई के कई प्रकरणों में आयोग की राय प्राप्त किये बगैर अंतिम आदेश पारित किये जाते हैं और जब उस प्रकरण में अपचारी अधिकारी अपील प्रस्तुत करता है तो वह प्रकरण आयोग की कार्योत्तर सहमति से लिये भेज दिया जाता है.

2. उक्तानुसार की जा रही कार्रवाई संविधान के प्रावधानों की अवहेलना है और अत्यन्त ही आपत्तिजनक है. अतः कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित पदों के प्रकरणों में आयोग का परामर्श प्राप्त किये बिना, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड के आदेश पारित नहीं किये जाये. इस बात को सुनिश्चित करे कि भविष्य में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

हस्ता./
(बी. आर. कोवले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक ए. 6-33/97/एक (1) भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 1997

प्रतिलिपि :

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर को उनके पत्र क्रमांक 191605/211/95/जी.एस., दिनांक 22-8-97 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.